जनसत्ता

गिरफ्तारी और सियासत

पूर्व वित्तमंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पी. चिदंबरम की गिरफ्तारी के बाद सियासी सरगर्मी कुछ बढ़ गई है। गिरफ्तारी के तरीके और अदालत के निर्देश पर भी सवालिया निशान लग रहे हैं। कांग्रेस और विपक्षी दल इसे बदले की भावना से की गई कार्रवाई बता रहे हैं। आपातकाल के बाद शायद इस तरह किसी बड़े नेता की गिरफ्तारी नहीं हुई। पी. चिदंबरम पर आरोप है कि उन्होंने वित्तमंत्री रहते हुए कम से कम चार मामलों में रिश्वत लेकर संबंधित कंपनियों को लाभ पहुंचाया। इसमें उनके बेटे कार्ति चिदंबरम की कंपनी और कुछ अन्य फर्जी कंपनियों के जरिए रिश्वत के पैसे लिए गए और कुछ भारतीय कंपनियों में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को मंजूरी दी गई। उनमें आइएनएक्स मीडिया कंपनी प्रमुख है, जिसे इंद्राणी मुखर्जी और उनके पति पीटर मुखर्जी चलाते थे। इस मामले में सीबीआई ने काफी छानबीन की और चिदंबरम के बेटे के खिलाफ मामला दर्ज किया। उसकी एफआईआर में चिदंबरम का नाम नहीं था, पर अदालत ने उन्हें मुख्य आरोपी मानते हुए गिरफ्तार कर पूछताछ करने का निर्देश दिया। अदालत ने इसे स्पष्ट करते हुए कहा कि जरूरी नहीं कि जिसके खिलाफ मामला दर्ज हो उसे ही आरोपी माना जाए, पीछे रह कर संचालन करने वाले को ज्यादा दोषी माना जाना चाहिए। इसी आधार पर चिदंबरम को गिरफ्तार किया गया।

हालांकि सीबीआई के उन्हें गिरफ्तार करने के तरीके को लेकर भी कुछ लोग सवाल उठा रहे हैं। जब सीबीआई के अधिकारी उनके घर पहुंचे, तो चिदंबरम ने उनके साथ सहयोग नहीं किया। कई घंटे तक वे सीबीआई के सामने नहीं आए। कांग्रेस के दफ्तर में प्रेस वार्ता करके उन्होंने सफाई दी कि गिरफ्तारी से बचने के लिए वे कानूनी रास्ते तलाश रहे थे। फिर जब न्यायालय ने इस मामले में तत्काल सुनवाई से इनकार कर दिया, तो सीबीआई की सक्रियता तेज हो गई। आखिरकार बुधवार की रात को कुछ अधिकारी दीवार फांद कर चिदंबरम के घर में दाखिल हुए और उन्हें गिरफ्तार किया।

इस घटना के बाद कांग्रेस कहते नहीं थक रही कि भाजपा सरकार बदले की भावना से काम कर रही है। वह अपने सभी विरोधियों पर शिकंजे कस रही है। इसके लिए सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग कर रही है। सीबीआई, प्रवर्तन निदेशालय, पुलिस जैसी संस्थाओं का गलत इस्तेमाल कर रही है। इन मुद्दों को लेकर वह देशव्यापी अभियान छेड़ने के लिए भी कमर कस रही है। पर सवाल है कि राजनेता अपने ऊपर लगे आरोपों से बचने के लिए कानूनी रास्ते निकालते रहते हैं, हर तरह से अदालतों और जांच एजेंसियों को गुमराह करने की कोशिश करते रहते हैं, वह कहां तक उचित है! इस मामले में अदालत का कहना है कि पी. चिदंबरम और उनके बेटे ने कभी अपेक्षित सहयोग नहीं किया। वे लगातार अग्रिम जमानत लेकर कानूनी शिकंजे से बचते चले आ रहे थे। क्या एक सामान्य नागरिक को इस तरह कानूनी कार्रवाई से बचते रहने की छूट मिल सकती है! फिर चिदंबरम खुद देश के जिम्मेदार पदों का निर्वाह कर चुके हैं, उनसे कानूनी कार्रवाई में मदद की अपेक्षा की जाती थी। मगर वे जिस तरह गिरफ्तारी से बचने के लिए छिपते फिर रहे थे, उस पर सवाल उठना स्वाभाविक है। जहां तक सरकारी मशीनरी के दुरुपयोग की बात है, कांग्रेस खुद इस आरोप से मुक्त नहीं है। भ्रष्टाचार के मामलों में अपनी खाल बचाने के लिए जब राजनेता और राजनीतिक दल सियासी चालें चलते हैं, तो लोकतांत्रिक प्रक्रिया कमजोर ही होती है।

रैगिंग का रोग

उत्तर प्रदेश में सैफई चिकित्सा विश्वविद्यालय में हुई रैगिंग के मामले ने एक बार फिर यही साफ किया है कि कुछ लोगों के भीतर न केवल खुद को श्रेष्ठ मानने की ग्रंथि इस कदर हावी है कि वे ऐसा करते हुए कानूनों की भी परवाह नहीं करते। गौरतलब है कि विश्वविद्यालय में प्रथम वर्ष के करीब डेढ़ सौ विद्यार्थियों का सिर मुंड़ा कर गंजा करा दिया गया है। उन सबको एक लाइन में सड़क पर चलना पड़ता है। बीच में अगर कोई वरिष्ठ मिल जाता है, तो उसे झुक कर सलाम करना पड़ता है। बीच में अगर किसी वजह से लाइन टूट जाए तो वरिष्ठ से गालियां सुननी पड़ती हैं। इस घटना के सामने आने के बाद विश्वविद्यालय प्रशासन इस मामले पर परदा डालने का प्रयास कर रहा है। उसने इसे सामान्य घटना करार दिया है। डर की वजह से रैगिंग के शिकार विद्यार्थी भी जुबान खोलने से हिचकते रहे। जाहिर है कि कथित वरिष्ठ होने के नाम पर जिन्होंने पीड़ित विद्यार्थियों की रैगिंग को अंजाम दिया, उनका खौफ शायद सबके सिर पर चढ़ कर बोलता है। रैगिंग का यह मामला शायद परिसर में ही दब कर रह जाता, अगर उसकी तस्वीरें बाहर नहीं आतीं।

इस बारे में सुप्रीम कोर्ट की ओर से तय दिशा-निर्देशों के तहत बिल्कुल साफ है कि किसी भी हाल में रैगिंग की घटना बर्दाश्त नहीं की जाएगी और दोषियों के साथ-साथ संस्थान तक के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई होगी। लेकिन यह एक गंभीर चिंता की बात है कि सर्वोच्च अदालत के स्पष्ट निर्देशों के बावजूद कुछ छात्र अपने भीतर गहरे पैठी श्रेष्ठता की सामंती ग्रंथि को दबा नहीं पाते हैं और एक तरह से रैगिंग की आपराधिक गतिविधि को अंजाम देते हैं। इससे इतर सवाल है कि परिसर के भीतर इतनी बड़ी घटना पर प्रशासन ने सख्त कार्रवाई करने के बजाय खुद ही लापरवाही क्यों बरती? हालत यह है कि किसी तरह बाहर आई तस्वीरों के बाद जब स्थानीय प्रशासन ने मामले में दखल दिया और एसडीएम की अगुआई में एक समिति ने जांच की तो उसमें सैफई चिकित्सा विश्वविद्यालय में विद्यार्थियों के साथ रैगिंग की पुष्टि की गई। यही नहीं, जांच में कुलपति और रजिस्ट्रार की ओर से बरती गई लापरवाही भी सामने आई।

यह किसी से छिपा नहीं है कि गैरकानूनी होने के बावजूद उच्च शिक्षण संस्थानों में होने वाली रैगिंग की घटनाओं में जूनियर विद्यार्थियों को कई बार बेहद अपमानजनक स्थितियों से गुजरना पड़ता है। प्रताड़ित किए जाने और यातना बर्दाश्त न होने की वजह से पीड़ित विद्यार्थियों के आत्महत्या तक कर लेने की खबरें आती रही हैं। हालांकि ऐसी घटनाओं पर हुई सामाजिक प्रतिक्रिया की वजह से ही इस ओर सरकार को संज्ञान लेना पड़ा और रैगिंग पर रोक लगाई गई। लेकिन आज भी अगर किसी संस्थान में इस तरह की प्रवृत्ति देखी जा रही है तो यह कानून को लागू करने वाली एजेंसियों की भी नाकामी है। किसी संस्थान में भविष्य बनाने के सपने लेकर नवागंतुक विद्यार्थी आते हैं, तो वहां अपने साथ हुए शुरुआती व्यवहार का उनके मन-मस्तिष्क पर गहरा असर पड़ता है और कई बार जीवन और समाज के प्रति उनका नजरिया भी निर्धारित हो जाता है। इसलिए यह सुनिश्चित किए जाने की जरूरत है कि किसी भी उच्च शिक्षण संस्थान में नवागंतुक विद्यार्थियों के साथ ऐसा बर्ताव हो, जिससे समाज और दुनिया के प्रति उनके भीतर सकारात्मक भाव पैदा हो।

कल्पमेधा

नसीहत बर्फ की तरह है। जितना धीरे-धीरे गिरती है, उतनी ही ज्यादा स्थायी होती है और गहराई से मन में प्रवेश करती है।
-कॉलरिज

फिर लौट रहा है मलेरिया

निरंकार सिंह

मलेरिया फैलाने वाला एनाफिलीज टंकियों, गड्ढों में जमा पानी में प्रजनन करता है। इसलिए साफ-सफाई और मच्छरों का खात्मा करके ही इन रोगों से पूरी तरह बचा जा सकता है। लेकिन हमारे शहरों की नगर पालिकाओं को साफ-सफाई और कीटनाशकों के छिड़काव का जो जरूरी काम करना चाहिए, वह भी वे समय से नहीं करती हैं। सरकार चेतती ही तब है जब रोग महामारी बन जाता है।

हर साल दुनिया भर में मलेरिया के लगभग बाईस करोड़ मामले सामने आते हैं। कंपकंपी, ठंड लगना और तेज बुखार मलेरिया के लक्षण हैं। अगर मलेरिया का सही इलाज न हो तो समस्या गंभीर रूप धारण कर लेती है। चिंता की बात यह है कि मलेरिया से लड़ने के लिए इस्तेमाल होने वाली जरूरी दवाएं बेअसर हो रही हैं। मलेरिया के परजीवी इन दवाओं को लेकर प्रतिरोधक हो गए हैं। यानी अब इन दवाओं का भी उन पर असर नहीं हो रहा। कंबोडिया से लेकर लाओस, थाईलैंड और वियतनाम में अधिकतर मरीजों पर मलेरिया में दी जाने वाली प्राथमिक दवाएं असर नहीं कर रही हैं। खासकर कंबोडिया में इन दवाओं के बेअसर होने के सबसे ज्यादा मामले सामने आए हैं।

अगर दक्षिण एशियाई देश भारत की बात करें तो साल 2017 में आई 'वर्ल्ड मलेरिया' रिपोर्ट के मुताबिक भारत में मलेरिया के मामलों में चौबीस फीसद तक कमी आई है। दुनिया कुल मलेरिया मरीजों के सत्तर फीसद मामले ग्यारह देशों में पाए जाते हैं जिनमें भारत भी शामिल है। पिछले साल भारत में मलेरिया के मामलों में चौबीस फीसद की कमी आई और इसके साथ ही भारत अब मलेरिया की मार वाले शीर्ष तीन देशों में शुमार नहीं है। हालांकि अब भी भारत की कुल आबादी के चौरानवे फीसद लोगों पर मलेरिया का खतरा बना हुआ है।

आजकल मच्छरों की ऐसी प्रजातियां पैदा हो गई हैं जिन पर जहरीले रसायनों का भी जल्दी असर नहीं होता है। इसलिए मच्छरों के काटने से होने वाली बीमारियों के प्रकोप से भारत की बहुत बड़ी आबादी त्रस्त है। मलेरिया, डेंगू, मस्तिष्क ज्वर (इंसेफेलाइटिस), चिकनगुनिया और फाइलेरिया जैसी बीमारियां मच्छरों के काटने से ही होती हैं। हर साल लाखों लोग मलेरिया की चपेट में आते हैं और हजारों डेंगू से दम तोड़ देते हैं। कुछ राज्यों में मस्तिष्क ज्वर से भी बड़ी संख्या में लोग मारे जाते हैं। डेंगू और चिकनगुनिया एडिस मच्छरों के काटने से फैलते हैं। यह मच्छर काले और सफेद रंग का होता है और कूलर, बर्तन या टंकी में जमा साफ ठहरे हुए पानी में पनपता है। मस्तिष्क ज्वर फैलाने वाला क्युलेक्स विशनुई मच्छर धान के खेतों में पनपता है। धान के खेतों में बच्चों को जाने से रोक कर इस बीमारी का काफी हद तक बचाव किया जा सकता है। मलेरिया फैलाने वाला एनाफिलीज भी टंकियों, गड्ढों में जमे पानी में प्रजनन करता है। इसलिए साफ-सफाई में ही इन रोगों से बचा जा सकता है। दरअसल, मच्छरों का खात्मा करके ही इन रोगों से पूरी तरह बचा जा सकता है। लेकिन हमारे शहरों की नगर पालिकाओं को साफ-सफाई और कीटनाशकों के छिड़काव का जो जरूरी काम करना चाहिए, वह भी वे समय से नहीं करती हैं। सरकार चेतती ही तब है जब रोग महामारी बन जाता है।

एक बड़ी समस्या यह भी है कि इन जानलेवा बीमारियों से निपटने के लिए पश्चिम के बड़े विकसित देश तैयार इसलिए नहीं हैं क्योंकि ये बीमारियां वहां नहीं होती हैं। इसलिए इन पर नियंत्रण अथवा किसी औषधि के अनुसंधान और विकास का कोई विशेष कार्य वहां नहीं हुआ। लेकिन अमेरिका अब अपने सैनिकों की रक्षा के लिए मलेरिया पर अनुसंधान कर रहा है। उसके नौसेना अनुसंधान संस्थान ने नई डीएनए टीका प्रौद्योगिकी विकसित की है। 1998 में सफल परीक्षणों के बाद हाफ मैन ने कहा 'हमने मलेरिया की बीमारी को उदाहरण के रूप में रख कर नई प्रौद्योगिकी का परीक्षण किया क्योंकि यह बीमारी हमारे जवानों के लिए सबसे खतरनाक संक्रामक रोग है। मलेरिया के इलाज में इस्तेमाल की जा रही एक दवा क्लोरोक्विन का विकास भारत और वाल्टर रीड सेवा शोध संस्थान के साझा प्रयासों से ही हुआ है। पर दशकों के प्रयास के बावजूद वैज्ञानिक ऐसा टीका ईजाद नहीं कर पाए हैं जो प्रभावी हो।

पहले कुछ इलाकों में मलेरिया से बचाव के लिए लोगों को कुनैन की गोलियां खिला कर रोकथाम की गई, पर इसमें भी पूरी सफलता नहीं मिली। इस दवा का असर थोड़े समय ही रहता था और एक बार बीमारी फैलने के बाद उसको महामारी का रूप धारण करने से रोकना संभव नहीं हो पाया। इसके बाद कई और औषधियां तैयार की गईं। इनमें क्लोरोक्विन, प्रोगवानिल, प्राइमाक्विन और पाइरोमेथामिन प्रमुख हैं। 1938 में कीड़ों-मकोड़ों को मारने के लिए डीडीटी की खोज की गई थी।

इसकी खोज से मलेरिया को रोकने का एक नया हथियार मिल गया। पर भारत और अफ्रीका जैसे उष्ण कटिबंधीय देशों में बड़े पैमाने पर यह अभियान चलाना संभव नहीं हो सका, क्योंकि इसके लिए कुशल प्रशासन, आवश्यक धन और साधन नहीं जुटाया जा सका। लेकिन इसी दौरान यह भी पता चला कि मच्छरों पर डीडीटी बेअसर साबित हो रही है। इसका एक बड़ा कारण यह बताया गया कि एनाफिलिज मच्छर की अनेक प्रजातियां डीडीटी के अलावा दूसरे कीटनाशकों की प्रतिरोधी हो गई हैं। उधर, मलेरिया परजीवियों पर प्रोग्वानिल और पाइरोमेथागिन जैसी प्रचलित औषधियों का असर नहीं हो रहा था। इसके अलावा मलेरिया परजीवियों की कुछ नई जातियां भी पैदा हो गई थीं जिन पर क्लोरोक्विन का भी असर नहीं हुआ जबकि क्लोरोक्विन अब तक की खोजी गई सबसे प्रभावशाली औषधि मानी जाती थी।

इंडिया स्पेंड की एक रिपोर्ट के मुताबिक मलेरिया के मामले में कमी का लक्ष्य ओड़िशा को इस बीमारी से लड़ने में मिली कामयाबी के कारण मुमकिन हो सका है। इससे पहले भारत में कुल मलेरिया मरीजों का चालीस फीसद हिस्सा ओड़िशा राज्य से आता था। कंबोडिया में मलेरिया के लिए दो दवाओं का इस्तेमाल होता है- आर्टेमिसिनिन और पिपोराक्विन। ये दवाएं कंबोडिया में 2008 में लाई गई थीं। लेकिन 2013 में कंबोडिया के पश्चिमी हिस्से में पहला ऐसा मामला सामने आया जब मलेरिया के परजीवी पर इन दोनों दवाओं का असर खत्म होने लगा। एक रिपोर्ट के मुताबिक दक्षिण-पूर्वी एशिया के मरीजों के खून के नमूने लिए गए। जब इन परजीवियों के डीएनए की जांच की गई तो पाया गया कि ये परजीवी दवा प्रतिरोधी हो चुके हैं और यह प्रभाव कंबोडिया से होकर लाओस, थाईलैंड और वियतनाम तक फैल चुका है। इन देशों के कई इलाकों में अस्सी फीसद तक मलेरिया परजीवियों पर दवा बेअसर हो चुकी है। वियतनाम में ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की क्लिनिकल रिसर्च यूनिट के प्रोफेसर ट्रान तिन्ह हिएन के अनुसार, मलेरिया के परजीवियों में प्रतिरोध के प्रसार और गहराते इस संकट ने वैकल्पिक उपचारों को अपनाने की जरूरत पर प्रकाश डाला। अब मलेरिया में आर्टेमिसियम के साथ दूसरी दवाओं के इस्तेमाल और तीन दवाओं के योग से इसका इलाज संभव है।

दुनिया को मलेरिया से मुक्त करने की दिशा में हो रहे तमाम प्रयासों को इससे झटका लगा है। सबसे बड़ा संकट है कि अगर यह अफ्रीका में पहुंच गया तो क्या होगा, जहां मलेरिया के मामले सबसे ज्यादा हैं। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर ओलिवियो मियोट्टो के मुताबिक परजीवियों का यह प्रतिरोध प्रभावी तरीके से बढ़ रहा है और नए क्षेत्रों में जाने और नए जेनेटिक को अपनाने में सक्षम है। अगर यह अफ्रीका पहुंच गया तो इसके नतीजे भयानक होंगे क्योंकि मलेरिया अफ्रीका की सबसे बड़ी समस्या है। लंदन स्कूल ऑफ हाइजिन और ट्रॉपिकल मेडिसिन के प्रोफेसर कॉलिन सदरलैंड मानते हैं कि परजीवियों का दवा प्रतिरोधी होना एक बड़ी समस्या तो है लेकिन इसे वैश्विक संकट नहीं कहा जा सकता। इसके परिणाम इतने भयानक नहीं होंगे जैसा हम सोच रहे हैं।

निजता की अदृश्य लकीर

एकता कानूनगो बक्षी

दुनिया मेरे आगे

मनुष्य सामाजिक प्राणी है और समाज की अपनी एक व्यवस्था है, जिसके अपने कुछ नियम और सलीके हैं। ये नियम हमें एक-दूसरे से जोड़े रखने का भी काम करते हैं। इन नियमों के साथ एक अदृश्य लकीर ऐसी भी हम सबके बीच खिंची होती है, जो हमारी और दूसरों की आजादी और उनकी निजता की सुरक्षा और मान को सुरक्षित रखा जाना सुनिश्चित करती है। इस लकीर का पालन किसी भी सभ्य समाज में रहने वाले हर व्यक्ति का दायित्व होना अपेक्षित रहता है।

देखा गया है कि वही समाज फलता-फूलता है, जहां नए का स्वागत हो और जिसमें हर इंसान को अपना जीवन अपनी पसंद से जीने की आजादी हो। कई बार इसके विपरीत भी देखने को मिलता है, जब समाज कोई एक ऐसा रूढ़ ढांचा बना लेता है, जिसमें अपनी तरह से ही चीजों का मूल्यांकन किया जाने लगता है। व्यापक और नए को स्वीकार करने की दृष्टि के अभाव में वह कई व्यक्तियों की गतिविधियों को खारिज कर देने को ही उचित मानने लगता है। अगर हम उनके बनाए मापदंडों पर खरे नहीं उतर पाते तो हमें असफल घोषित कर दिया जाता है। समाज की आकांक्षाओं का दबाव कभी-कभी उस सीमा रेखा को भी लांघ जाता है, जिसके चलते इंसान खुद को हताश, असहाय महसूस करने लगता है और गलत कदम उठा लेने पर भी विवश हो जाता है।

मनुष्य के अंदर अपार संभावनाएं है, जो हर बार पुराने मापदंड तोड़ती हैं और नया इतिहास रचती हैं। किसी निश्चित पैमाने और कुछ लोगों की उम्मीदों पर खरे उतरने से कहीं अधिक ऊंची उड़ान भरने में वह सक्षम हो सकता है। कुछ लोगों के सीमित ज्ञान और समझ से लागू किए निराधार मापदंडों से खुद का मूल्यांकन करना हमारी सबसे बड़ी भूल होगी। हर इंसान की अपनी यात्रा है, अपने संघर्ष हैं और अपने मुकाम भी। फिर कैसे लंबे समय से चले आ रहे कुछ रूढ़ पैमानों पर खुद को आंकने के लिए बाध्यता होनी चाहिए? जबकि अनंत संभावनाओं का विशाल आसमान हमारे सामने है।

स्कूल के दिनों में असेंबली या फिर खेल की कक्षा के वक्त विद्यार्थियों को पंक्तिबद्ध करने के पहले कहा जाता था कि हर व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से एक हाथ की दूरी बना कर खड़ा हो, ताकि सब स्वतंत्र और सहजता से अपना काम व्यस्थित रूप से कर सकें। यही सबक हमें फिर याद करने की जरूरत है। किसी के भी जीवन में हमें और किसी को भी अपने जीवन में इतना हस्तक्षेप नहीं करने देना चाहिए कि हमारी खुशियों और निजता पर उसका विपरीत प्रभाव पड़े। हर रिश्ते और समाज में एक ऐसी सीमा रेखा का होना बहुत जरूरी समझा जाना चाहिए। ख्यात शायर राहत इंदौरी साहब का एक शेर है- 'अफवाह थी कि मेरी तबीयत खराब है, लोगों ने पूछ-पूछ कर बीमार कर दिया'। एक दूसरे की चिंता, मदद, सलाह, देखभाल जहां हमें एक-दूसरे के करीब लाती है, वहीं उसकी अति पूरी तरह से विपरीत प्रभाव भी डाल सकती है।

कार्यक्षेत्र और परिवार के बीच भी इस सीमा रेखा की सामान्यतः अनदेखी की जाती है। आप कैसे कपड़े पहनते हैं, आप मांसाहारी हैं या शाकाहारी हैं, आप अपनी भाषा बोलते हैं या विदेशी भाषा में संवाद करना पसंद करते हैं, आपका व्यवसाय, आपकी शादी, आपके बच्चे, विचार- इन सब संदर्भों में भी मनमाने ढंग से समाज के कुछ लोग अपने बनाए रूढ़िवादी मापदंडों और पूर्वाग्रहों को थोप कर जीवन में अनचाही मुश्किलें पैदा करने का प्रयास करते रहते हैं। अगर आप उनके पैमाने पर खरे नहीं हैं तो आप अधूरे हैं। जबकि अधूरापन उनकी सोच में होता है।

दरअसल, वे लोग वस्तुस्थिति और अन्य लोगों के मन और जीवन को समझने में सक्षम नहीं होते। ऐसे लोग पुरानी रूढ़िवादी परंपराओं में जकड़े हुए होते हैं और किसी भी बदलाव से असुरक्षित महसूस करते हैं। जबकि होना यह चाहिए कि पुराने अनुभवों और नए समय की जरूरतों को देख कर निर्णय लिए जाएं, न कि लोकलाज के किसी भय से प्रभावित होकर। हमारे यहां पुरानी कहावत है- 'निंदक नियरे राखिए, आंगन कुटी छवाय, बिन पानी, साबुन बिना, निर्मल करे सुहाय'। पर अपना सही आलोचक चुनना और उसकी किन बातों पर ध्यान देना है, इसका भी सही चयन करना आवश्यक है। एक बार हमारे विचारों और जीवन पथ का विचलन हुआ तो समझिए कि फिर सही राह पर आगे बढ़ना कठिन हो जाएगा।

अक्सर देखा जाता है कि बेहतर विकल्पों और खुलेपन की चाह के चलते कई लोग शहर, समाज, अपने देश तक से पलायन कर जाते हैं। हर व्यक्ति ऐसे समाज में रहना चाहता है, जहां वह खुश रह सके, अपने मन का कर सके, जहां उसका विकास हो सके। वह अपने जीवन में अपने निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र हो, जहां उसकी निजता का सम्मान हो। आलोचनात्मक रवैए और थोपे गए विचारों और नियमों, मापदंडों से दूर वह अपनी पूर्णता में खुल कर जी सके। आजादी का एक मतलब खुल कर, अपराधमुक्त और सम्मान भाव से, बिना किसी की आजादी में खलल डाले, थोड़ी-सी दूरी बनाए रख कर, सबको साथ लेकर आगे भी बढ़ते जाना है।

आबादी पर लगाम

प्रधानमंत्री ने स्वतंत्रता दिवस के दिन लालकिले से अपने संबोधन में जनसंख्या विस्फोट पर चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि परिवार छोटा रखना भी एक तरह की देशभक्ति है। उनके मुताबिक जनसंख्या नियंत्रण के बाबत जागरूकता को लेकर बड़े स्तर पर चर्चा करने की जरूरत है। उन्होंने जोर देकर कहा कि जन्म देने पहले हमें सोचना होगा कि क्या हम अपने बच्चों की आकांक्षाओं के साथ न्याय कर पाएंगे? गौरतलब है कि विपक्ष के अनेक नेता भी प्रधानमंत्री की बात से सहमति जता रहे हैं। संयुक्त राष्ट्र 2019 के वैश्विक जनसंख्या के आंकड़ों के मुताबिक भारत की आबादी 136 करोड़ तक पहुंच गई है और यह 1.2 फीसद की दर से बढ़ रही है। यह रफ्तार देश के विकास के लिए बाधा बन रही है और कई समस्याओं को जन्म दे रही है।

जनसंख्या के मुकाबले देश में संसाधनों की कमी है जिस वजह से गरीबी, भुखमरी, बेरोजगारी और पर्यावरणीय समस्याएं बढ़ रही हैं। जनसंख्या वृद्धि पर लगाम के लिए अब तक सरकारों ने कोई ठोस कदम नहीं उठाए मगर मौजूदा स्थितियों को देखते हुए देश के कई अर्थशास्त्री और विशेषज्ञ एक मजबूत जनसंख्या नियंत्रण कानून के पक्ष में अपनी राय जाहिर करते हुए परिवार नियोजन के तहत दो बच्चे की नीति अमल में लाने के लिए कहते हैं। देश के शिक्षित एवं जागरूक नागरिक भी दो बच्चों को ही प्राथमिकता देते हैं लेकिन एक ऐसा बड़ा वर्ग है जो अशिक्षित है और परंपरागत रीति रिवाजों के चलते बच्चों को ईश्वर की देन मान कर दो से अधिक बच्चों को जन्म देता है।

समाज में एक बड़ा शिक्षित वर्ग ऐसा भी है जो पुत्र प्राप्ति की लालसा में परिवार नियोजन को महत्त्व नहीं देता। इन कारणों से भी देश की आबादी दिन-प्रतिदिन बढ़ रही है। गौरतलब है कि आर्थिक एवं सामाजिक मामलों के विभाग द्वारा जारी रिपोर्ट के मुताबिक भारत 2027 तक चीन को जनसंख्या के मामले में पछाड़ देगा। इसलिए देश के नागरिकों और सरकार को जनसंख्या नियंत्रण के लिए गंभीर कदम उठाना आवश्यक हो गया है।

● *निशांत महेश त्रिपाठी, ग्राम कोंढाली, नागपुर*

मौत का मांझा

चीनी मेटेलिक मांझे से पतंगबाजी इन दिनों जानलेवा साबित हो रही है। दिल्ली में पिछले दिनों दोपहिया वाहन सवारों की इससे गर्दन ही कट गई और वे बुरी तरह लहूलुहान होने के कारण मौत के मुंह में चले गए। पशु-पक्षी आदि भी इस मांझे के भयंकर जाल से नहीं बचे हैं। पेड़-पौधे तक इससे क्षतिग्रस्त हो रहे हैं। बिजली की बड़ी लाइनें इस मांझे के छू जाने से खुद पतंगबाजों की मौत के मामले सामने आए हैं। और मेट्रो रेल तक इससे रुक जाती है। लिहाजा, इस पर तुरंत प्रतिबंध जरूरी है।

● *वेद मामूरपुर, नरेला, दिल्ली*

सही समय

यह सही है कि कश्मीर में सुरक्षा और सतर्कता बढ़ानी पड़ी है, लेकिन इसे लेकर चिंतित हो रहे लोग यह क्यों नहीं देख पा रहे हैं कि वहां हालात तेजी से सामान्य हो रहे हैं और पाबंदियां हटाने का सिलसिला बढ़ रहा है? यह विशेष रूप से उल्लेखनीय है कि बीते एक पखवाड़े में घाटी में जान-माल का नुकसान नहीं हुआ है। निस्संदेह तथाकथित आजादी के सपने से प्रभावित कश्मीर के लोगों को राष्ट्र की मुख्यधारा में शामिल होने में समय लगेगा, लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि उन्हें दिवास्वप्न दिखाया जाए कि बीते हुए दिन फिर लौट सकते हैं। यह नहीं हो सकता, क्योंकि इस मामले में देश न केवल एकजुट, बल्कि दृढ़-संकल्पित भी है। इस संकल्प भाव के कारण ही कश्मीर में आतंक और अलगाववाद के समर्थकों के हौसले पस्त हैं और पाकिस्तान को समझ नहीं आ रहा है कि वह करे तो क्या करे! यह सही समय है कि जब कश्मीर संबंधी फैसले पर राष्ट्र एक स्वर में बोले, क्योंकि इसी से दुनिया को संदेश जाएगा कि भारत अपने रुख से टस से मस होने वाला नहीं।

● *हेमंत कुमार, भागलपुर*

किसी भी मुद्दे या लेख पर अपनी राय हमें भेजें। हमारा पता है : ए-8, सेक्टर-7, नोएडा 201301, जिला : गौतमबुद्धनगर, उत्तर प्रदेश

आप चाहें तो अपनी बात ईमेल के जरिए भी हम तक पहुंचा सकते हैं। आइडी है : chaupal.jansatta@expressindia.com

हाशिये पर किसान

कृषि को भारतीय अर्थव्यवस्था का मेरुदंड कहा जाता है। देश की कुल आबादी का 58 प्रतिशत से भी अधिक हिस्सा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कृषि कार्यों से जुड़ा हुआ है। देश के सकल घरेलू उत्पाद में कृषि का योगदान 15 प्रतिशत से भी ज्यादा है लेकिन औपनिवेशिक काल से कृषि व किसान हाशिये पर रहे हैं।

प्राकृतिक आपदा की मार सबसे ज्यादा किसानों को ही झेलनी पड़ती है, जिससे न केवल उनकी उपज प्रभावित होती है बल्कि वे आत्महत्या भी करते हैं। देश की सबसे बड़ी पंचायत का प्रतिनिधित्व करने वाले अधिकतर जनप्रतिनिधि भी अपने आप को कृषि से जुड़ा बताते ही नहीं बल्कि किसानों का सबसे बड़ा मसीहा होने का दावा भी करते हैं। इन नीति निर्माताओं द्वारा समय-समय पर किसानों के लिए तमाम योजनाएं बनाई जाती हैं, लेकिन किसानों की हालत आज भी वही ढाक के तीन पात वाली है।

भारत में कृषि की जगह औद्योगीकरण को तरजीह दी गई है जिससे कृषि कार्य हाशिये पर आ गया है। अगर समय रहते सरकारें न चेतीं तो देश की बढ़ती जनसंख्या की जरूरतों को पूरा नहीं किया जा सकेगा और मुल्क में भुखमरी की स्थिति भयावह हो सकती है। जरूरत है तो किसानों की स्थिति को सुधारने की जिससे देश और सुदृढ़ हो सके।

● *दुर्गेश कुमार गुप्ता, भीमहर, मऊ, उत्तर प्रदेश*

पिघलते ग्लेशियर

पर्यावरणवादियों के लिए एक अगस्त, 2019 दुखद दिन साबित हुआ क्योंकि इस दिन आइसलैंड का सात सौ साल पुराना ग्लेशियर 'ओक जोकुल' जलवायु परिवर्तन के कारण पिघल कर पूरी तरह समाप्त हो गया। 1901 में यह ग्लेशियर 38 वर्ग किलोमीटर में फैला था। इस माह यह पिघल कर लुप्त हो गया। कहते हैं, अगर तापमान इसी तरह बढ़ता रहा तो अगले सौ साल में धरती के आधे से अधिक ग्लेशियर गल जाएंगे। केवल आइसलैंड में हर साल ग्यारह अरब टन बर्फ पिघल रही है। यही हाल अंटार्कटिका का भी हो रहा है। फिर तो समुद्र अपना किनारा इतना बढ़ा लेंगे कि गांव-शहर सब उसमें समा जाएंगे।

जल ही जीवन है, हम अब तक यही मानते आए हैं। शीघ्र ही हमें कहना पड़ेगा कि 'जल ही जीवन का अंत है'। अगर अब भी हम विकास के नाम पर विनाश करना बंद नहीं करेंगे तो फिर इस धरती से जीवन के अंत को कोई रोक नहीं सकता।

● *जंग बहादुर सिंह, गोलपहाड़ी, जमशेदपुर*